छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | दशम सत्र | अंक-01

<u>रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 नवम्बर, 2016</u>

(कार्तिक 24, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम् की धुन बजाई गई ।

2. प्रश्नकाल

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम पुकारा गया। श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने 500 एवं 1000 के भारतीय नोट बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की गई।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल एवं सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया एवं सदन को सूचना दी की आज की अनुपूरक कार्यसूची में केंद्र सरकार के विमुद्रीकरण पर एक प्रस्ताव सम्मिलित है।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि उन समस्त बातों को प्रस्ताव पर चर्चा के समय रखा जा सकता है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल एवं सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारेबाजी की गई।)

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.15 बजे स्थगित की जाकर 11.36 बजे पुन: समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल एवं सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारेबाजी की गई।)

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.44 बजे स्थगित की जाकर 12.24 बजे पुन: समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव पर पुन: चर्चा कराए जाने की मांग की ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल एवं सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारेबाजी की गई।)

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - आज प्रात: शासन की ओर से केन्द्र सरकार के द्वारा लागू विमुद्रीकरण निर्णय के प्रति राज्य शासन द्वारा सहयोग में तत्परता से संबंधित एक प्रस्ताव तथा प्रतिपक्ष की ओर से दिनांक 9 नवम्बर से जनता को होने वाली परेशानी को आधार बना कर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है।

चूंकि यह विषय केन्द्र सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय से उत्पन्न स्थिति एवं कार्यान्वयन से संबंधित है, इस विषय का परोक्ष रूप में राज्य शासन से कोई सम्बन्ध नहीं है, अत: विषय राज्य शासन से संबंधित नहीं होने के कारण नियमानुकूल नहीं है।

राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में, केन्द्र शासन द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय का समर्थन करते हुए सहयोग हेतु तत्परता की भावना व्यक्त की गई है ताकि आम जनता को होने वाली परेशानी को दूर किया जा सके। समग्र रूप से विचार कर तथा विषय के महत्व पर प्रस्ताव को आज की ही कार्यसूची में सम्मिलित किया है।

प्रस्ताव पर समस्त सदस्यों को अपनी बातें रखने का अवसर प्राप्त होगा और माननीय सदस्य समस्त बातों की ओर शासन का ध्यान भी आकृष्ट कर सकेंगे। अत: अब स्थगन प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं होगी।

चूंकि विषय स्थगन प्रस्ताव के नियमानुकूल नहीं है, अत: स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया है।

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.30 बजे स्थगित की जाकर 12.50 बजे पुन: समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल एवं श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव पर पुन: चर्चा कराए जाने की मांग की ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आप लोगों ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उस पर व्यवस्था दे दी गई है। इस संबंध में जो शासकीय संकल्प आया है उसमें आप लोगों को चर्चा करने का पूरा अवसर दिया जायेगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जो सदन का विषय नही है एवं जो सदन का सदस्य नहीं है उस पर चर्चा नहीं हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - यह स्थापित परम्परा रही है, जो व्यक्ति किसी अन्य सदन के सदस्य हैं, उनके किसी भी कार्य अथवा अन्यथा भी इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती । जो भी बातें कहीं गई हैं, वह सभा की कार्यवाही से विलोपित की जाती है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

4. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

समिति द्वारा निम्नलिखित वित्तीय, विधायी एवं अन्य कार्य हेतु समय निर्धारित किया गया :-

	वित्तीय कार्य		**समय**
1.	वर्ष 2016-2017 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	-	03 घंटे
	शासकीय विधि विषयक कार्य		
1.	छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2016	-	15 मिनट
2.	छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016	-	15 मिनट

3.	छत्तीसगढ़ लोक सेवा (संशोधन) विधेयक, 2016	-	30 मिनट
4.	छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016	-	15 मिनट

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

(सर्वश्री अमित अजीत जोगी, राजेन्द्र कुमार राय एवं सियाराम कौशिक, सदस्य गर्भगृह में आये एवं नारे लगाते हुए गर्भगृह में बैठे ।)

5. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (क्रमांक 2 सन् 2016), **पटल पर रखा।**

6. जुलाई, 2016 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जुलाई, 2016 के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

7. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2016 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2016 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

8. माननीय राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा चतुर्थ विधान सभा के दिसम्बर, 2015 सत्र में पारित 13 विधेयकों में से शेष बचे 4 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति महोदय की तथा जुलाई 2016 सत्र में पारित सभी 5 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

9.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री देवजी भाई पटेल
(2) श्री सत्यनारायण शर्मा
(3) श्री संतोष बाफना
(4) श्री शिवरतन शर्मा
(5) श्री धनेन्द्र साहू

10. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 49, रायपुर नगर पश्चिम से निर्वाचित सदस्य श्री राजेश मूणत द्वारा नवम्बर, 2016 सत्र में दिनांक 15 नवम्बर, 2016 से 21 नवम्बर, 2016 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

11. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

सभा के गर्भगृह में आने पर विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन श्री अमित अजीत जोगी, श्री राजेन्द्र कुमार राय एवं श्री सियाराम कौशिक, सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये ।

12. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, सदस्य ने उपस्थित रह कर भी सूचना नहीं पढ़ी।

(2) डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, डॉ. प्रीतम राम, श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य ने उपस्थित रह कर भी सूचना नहीं पढ़ी।

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण 1.11 बजे से 3.02 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

13.निलंबन अवधि की समाप्ति

मानीनीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित हुए सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि शासन की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव आया है। प्रतिपक्ष इस चर्चा में हिस्सा ले और सारी बात रखे ।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने पुर्नविचार का आग्रह करते कथन किया कि प्रस्ताव के लिए कार्यसूची का पदक्रम बदल दिया गया। स्थगन के माध्यम से चर्चा का आग्रह है।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि अनुपूरक कार्यसूची जारी किया जाना नियमों के अंतर्गत है।

आपके स्थगन प्रस्ताव को अग्राहय करने के संबंध में मेरे द्वारा व्यवस्था दे दी गई है । उसी को बार-बार बोलना उचित नहीं है।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने कथन किया कि यह प्रस्ताव इतना गंभीर था तो इस प्रस्ताव पर चर्चा के माध्यम से सहमति बनाई जाती ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने कथन किया कि स्थगन प्रस्ताव और प्रस्ताव को एक करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए जो निर्णय हुआ है वह संसदीय परंपराओं के अनुरूप हुआ है और उसका पालन सबको करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय राजस्व मंत्री ने जो बातें रखी हैं वे इस पर अपनी व्यवस्था पश्चात देंगे। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में अब कोई चर्चा नहीं होगी।

14.प्रस्ताव

"यह सदन केन्द्र सरकार द्वारा लागू विमुद्रीकरण विषयक निर्णय का स्वागत करता है और मुद्रा को शुचितापूर्ण विनियमनों को प्रोत्साहित करने के सभी संस्थागत प्रयासों में सक्रिय सहयोग हेतु अपनी तत्परता व्यक्त करता है।"

डॉ. रमन सिंह ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री,

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, नवीन मारकण्डेय, डॉ. खिलावन साहू

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

15.आसंदी द्वारा अपेक्षा

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - मेरा नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध है कि सदस्यों द्वारा जिस प्रकार सभा की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की जा रही है, यदि वह संसदीय गरिमा के अनुरूप उसको नहीं मानते हैं तो सदस्यों को नियंत्रित करने का प्रयास करें। मैं समझता हूं कि इससे मुझे सदन के संचालन में सुविधा होगी।

माननीय अध्यक्ष ने यह भी अनुरोध किया कि वह माननीय सदस्यों के आचरण को संसदीय मर्यादा में नियंत्रित रखें ।

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 4.02 बजे स्थगित की जाकर 4.27 बजे पुन: समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस. सिंहदेव ने आसंदी से आग्रह किया विपक्ष भी प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेना चाहता है, किंतु आज सभा में निर्मित माहौल में चर्चा संभव प्रतीत नहीं होती। माननीय अध्यक्ष अगर अनुमति दें तो चर्चा हेतु तैयारी कर सकें।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के कथन का समर्थन किया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यक्त किया कि सदन की भावना पर विचार कर प्रस्ताव पर शेष चर्चा हेतु कल का दिन निर्धारित करता हूं।

सायं 4.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 16 नवंबर, 2016 (कार्तिक, 25 शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा